



भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त, आयकर भवन,
लूबी सर्कुलर रोड, धनबाद ।
टेलिफोन-0326-2311175

सं०सं०आ०आ०/धन०/80जी-9/2013-14/1507
दिनांक, धनबाद ०१ जुलाई, 2013

सेवा में,

जीवन,
बास्ताकोला, धनसार
धनबाद - 828106

महाशय, / Sir

विषय : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (5) के तहत रिन्यूअल की स्वीकृति के लिए आवेदन -

Sub : Application for grant of Approval/renewal u/s 80G(5) of I.T. Act, 1961 -

उपर्युक्त न्यास/संस्थान के दिनांक 18-01-2013 के फार्म नं. 10 जी में किए गए आवेदन के संदर्भ में, यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त न्यास/संस्थान को किए गए दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (5) के तहत उसमें दी गई सीमा के अंदर कटौती योग्य हैं।

With reference to application in form No. 10G made by the aforesaid trust/institution on 18-01-2013, it is certified that donations made to the trust/institution shall qualify for deduction u/s 80G (5) of the Income-tax Act, 1961, subject to the limits prescribed therein.

2. उपर्युक्त छूट निर्धारण वर्ष 2013-14 से वैध है। जब तक कि अद्योहरस्ताक्षरी द्वारा किसी पूर्व तारीख से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रद्द नहीं किया जाता।

This exemption is valid from A. Y. 2013-14 onwards unless cancelled by the undersigned on any prior date subject to the following conditions:-

- (ix) दाताओं को जारी की गई रसीदों में इस प्रमाण-पत्र के उपर्युक्त नंबर और तारीख तथा वह अवधि जिसके लिए यह वैध है, का उल्लेख करें।

Receipts issued to the donors should bear the number and date of this certificate and indicate the period for which this certificate is valid.

- (x) उपर्युक्त न्यासी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(15), 11, 12, 13 एवं 80 जी की प्रावधानों का पालन करते रहना चाहिए।

The aforesaid entity should continue to fulfill the requirements of section 2(15), 11, 12, 13 and 80G of the IT Act, 1961.



Contd. P/2